



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 650] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 827(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों को अन्तर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव (ओषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 414ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई-मेल किया जाए।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों को ओषधि और प्रसाधन सामग्री (.....संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।
- ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अनुसूची ट में, “ओषधियों का वर्ग” स्तंभ के अधीन क्रम संख्यांक 23 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"(i) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / उप-केन्द्रों / स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों से सम्बद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, नर्स, सहायक नर्स मिडवाइफ तथा महिला स्वास्थ्य आगंतुक सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, (ii) सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्यायित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी), और (iii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपूर्त ओषधियाँ।"

[फा. सं. एक्स.11014/13/2019 – डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.....(अ), तारीखद्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

G.S.R. 827(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (.....Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, against serial number 23, for the entries under the column "Class of Drugs", the following shall be substituted, namely:—

"Drugs supplied by (i) Health Functionaries including Community Health Officers, Nurses, Auxiliary Nurse Midwives and Lady Health Visitors attached to Primary Health Centres/ Sub-Centres/ Health & Wellness Centres in rural and urban areas, (ii) Community Health Volunteers such as Accredited Social Health Activists (ASHAs) under the National Health Mission, and (iii) Anganwadi Workers."

[F. No. X.11014/13/2019-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R.(E), dated